भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3988
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

स्कूलों में अवसंरचना का अभाव

3988. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कक्षा, शौचालय और पेयजल सुविधाओं जैसी पर्याप्त अवसंरचनाओं का अभाव है;
(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्कूलों की अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान उपरोक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विकसित अवसंरचना का जिला-वार ब्यौरा क्या है;और
(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित और खर्च की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(चौधरीश्री जयन्त)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों सहित मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) डेटाबेस

और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार निर्धारित कमियों के आधार पर अतिरिक्त कक्षाएं, बालकों/बालिकाओं/सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के सृजन और संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तदुपरान्त इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों, पूर्व स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना और बजट के आधार पर, समग्र शिक्षा के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय अंश एकमुश्त जारी किया जाता है, न कि निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के लिए पृथक् से। इसके उपरांत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इन निधियों का आबंटन और उपयोग करते हैं, और अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना और बजट के अनुसार, यथा अनुप्रयोज्य जिलों, ब्लॉकों और स्कूलों को हस्तांतरित करते हैं।

सरकार देश भर के प्रत्येक स्कूल में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लक्षित और परिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। गत पांच वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश को क्रमशः 1083.38 करोड़ रुपये और 916.88 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 504.31 करोड़ रुपये और 542.53 करोड़ रुपये तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को 27.70 करोड़ रुपये और 16.70 करोड़ रुपये स्कूल के अवसंरचना के लिए अनुमोदित और जारी किए गए। संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना घटकों के वर्ष-वार अनुमोदन का ब्यौरा, और समग्र शिक्षा के अंतर्गत गत पांच वर्षों के लिए अनुमोदित केंद्रीय अंश और रिलीज की गई राशि **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

अनुलग्नक-1

माननीय संसद सदस्य श्री ज्ञानेश्वर पाटील, श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके और डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा पूछे गए दिनांक 18.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3988 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल स्कूल	बालकों के कुल स्कूल	बालिकाओं के कुल स्कूल	पेयजल	बालक शौचालय	बालिका शौचालय	रैम्प	विद्युत	खेल का मैदान
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	325	323	324	325	321	324	322	325	324
मध्य प्रदेश	86196	84778	85320	85861	82968	83665	85487	75378	82520
महाराष्ट्र	58680	58094	58181	58187	54103	55739	56815	53532	53588

स्रोत: यूडीआईएसई+ 2023-24

*बालक शौचालय के संबंध में केवल बालक और सह-शिक्षा विद्यालयों पर विचार करें।

*बालिका शौचालय के संबंध में केवल बालिका और सह-शिक्षा विद्यालयों पर विचार करें।

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अवसंरचना की वर्षवार वास्तविक स्वीकृति का ब्यौरा

राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	33	20	1491	921	2061
महाराष्ट्र	0	33	3997	805	1529

नोट:- वास्तविक स्वीकृति में अतिरिक्त कक्षाकक्ष, बालकों के लिए शौचालय, बालिकाओं के लिए शौचालय, सीडब्ल्यूएसएन शौचालय और पेयजल सुविधा शामिल है।

माननीय संसद सदस्य श्री ज्ञानेश्वर पाटील, श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके और डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा पूछे गए दिनांक 18.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3988 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय अंश निधि आबंटन और रिलीज का ब्यौरा

राशि: रु. करोड़ में

क्र.	वित्तीय वर्ष	मध्य प्रदेश	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	महाराष्ट्र

सं.		अनुमोदित राशि	केंद्रीय रिलीज	अनुमोदित राशि	केंद्रीय रिलीज	अनुमोदित राशि	केंद्रीय रिलीज
1	2020-21	63.08	101.68	4.67	0.22	39.07	26.13
2	2021-22	47.84	1.61	4.42	0.00*	32.89	64.38
3	2022-23	309.11	56.45	7.51	4.04	126.59	298.73
4	2023-24	340.66	203.33	3.02	8.20	153.57	48.61
5	2024-25	322.69	553.81	8.08	4.24	152.19	104.68

स्रोत: प्रबंध (पीआरएबीएएनडीएच) पोर्टल और पीएबी कार्यवृत्त

*नए रिलीज प्रस्ताव के संदर्भ में 50% से अधिक अप्रयुक्त शेष।